राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक 1(3) ग्राविं/नरेगा/बजट घोषणा/2010 जयपुर, दिनांक 10 FEB 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के पदों के संबंध में।**
संदर्भः **इस कार्यालय का पत्रांक एफ 2(23) ग्रावि/नरेगा/2008 दि. 03.08.09**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुरूप राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन का पद संविदा आधार पर संदर्भित पत्र के द्वारा सृजित किया जा चुका है।

अतः आपके जिले की समस्त पंचायतों में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन संविदा के आधार पर उपलब्ध करवावे। कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन वित्त विभाग के आदेश एफ 9(1) एफडी-1 (1) बीयूडी/2004 दिनांक 28.07.2008 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार ही लगाया जावे। राज्य स्तर पर भी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव विभिन्न कम्पनियों से प्राप्त किये गये थे। इस संबंध में सीएमएस कम्प्यूटर लि0, श्री कृपा कम्प्यूटर्स एवं एचसीएल इनफोसिस्टम लि0 ने अपने प्रस्ताव विभाग को दिये है। इन प्रस्तावों की प्रति भी इस पत्र के साथ भिजवाई जा रही है। आप अपने स्तर से उक्त फर्मो के माध्यम से अथवा अन्य फर्मो से कम्पयूटर ऑपरेटर मय मशीन गुणावगुण के आधार पर लगावे। जिन पंचायतों ने गत एक वर्ष में कोई भी श्रमिक नियोजित नहीं किया गया है अथवा जहां अभी तक इंटरनेट की सुविधा/विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं हो पाई है ऐसी जगह आवश्यकतानुसार ही कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन लगावे जावे।

कम्प्यूटर ऑपरेटर की शैक्षिणक योग्यता वित्त विभाग के उक्त परिपत्र एवं इस कार्यालय के के पत्र एफ 4(19)ग्रावि/एनआरईजीएस/नरेगा/पीओ/09-10 दिनांक 18.09.09 के बिन्दु संख्या 5 में निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही रखी जावे। कम्प्यूटर ऑपरेटर का मुख्य कार्य महानरेगा योजना के आकडों को कम्प्यूटर में

फीड करना तथा विभाग द्वारा चाही गई पंचायत स्तर की समस्त सूचनाओं को ऑन लाईन उपलब्ध करवाना है।

कुछ जिलों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है तथा कुछ जिलों में नियोजित भी कर लिया गया है। जिन जिलों में अनुबंध के आधार पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लगा दिये गये है उनकी अनुबंध अवधि दिनांक 28.02.2010 को समाप्त हो रही है। अतः दिनांक 28.02.2010 के पश्चात उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जावे। उन्हें दिनांक 28.02.2010 के पश्चात हटा दिया जावे। जिन जिलों में केवल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का चयन किया है, उन्हें अब नियोजित नहीं किया जावे। अब केवल कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन ही लगाया जावे।

उक्त कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप समयबद्ध रूप से की जानी आवश्यक है। अतः 28.02.2010 तक आवश्यक रूप से पालना कर अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

9/2/10

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)

Government of Rajasthan

Finance (Budget) Department

No. F9(1)FD-1(1)Bud/2004 Jaipur, Dated : 28.07.2008

CIRCULAR

Sub – Guidelines for hiring of computers.

This Department's circulars of even number dated 30th May, 2001, 18th April, 2002 and 30th September, 2004 lay down the procedure of hiring computers as a package (man and machine), configuration of hardware & software and expenditure ceiling for this arrangement. These guidelines are hereby revised with immediate effect as under and will be applicable for new agreements & renewal of existing agreements:-

1. Prior permission of Finance Department shall be required if a department feels necessity of hiring computers (along with trained personnel).
2. The hiring, as indicated in this circular, may be undertaken by the office of Head of Department or field officers as may be authorized by HoD.
3. Computers (along with trained personnel) may be hired, as a package, by negotiations or obtaining hand/limited quotations subject to a ceiling of expenditure upto Rs.6000/- per month per computer (along with trained personnel). The suggestive terms & conditions of tender/ quotation are also enclosed.
4. Specification of package i.e. computers (along with trained personnel) will be as under :-

   1. **Machine Specifications**

      a. Computer - Pentium P IV / Equivalent AMD Computer or higher, RAM 512 MB/1GB, Hard disk 80 GB or more, 15" Monitor/TFT, 10/100 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows XP / Vista, Anti Virus, Preinstalled MS Office.

      Responsibility of software license will be borne by the contractor.

      b. Printer - Black and white laser printer with speed 12 ppm or more. For specific needs, dotmatrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

      c. UPS - Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

[8/2008]

RA CIT Certificate

2. **Manpower** - The personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, good knowledge / practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.

   Note :-***If any Head of Department proposes to vary the suggested configuration, the same should be on superior side but expenditure ceiling of Rs.6000/- per month will not be enhanced.***

5. The computers along with trained personnel may be hired from individuals as well as firms. Preference may be given to individuals.

6 Expenditure may be charged to office expenses or miscellaneous contingencies or to budget meant for purchase of computers. Budgetary provisions should not be exceeded under any circumstances.

7. This circular will not affect existing agreements.

28/7/2008

(Subhash Garg)
Principal Secretary, Finance

Copy forwarded for information and necessary action :-

1. Principal Secretary to Governor/ Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. Private Secretary to Cabinet Minister/ State Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. All Principal Secretary/ Secretary/ Sp. Secretary to Govt., Rajasthan, Jaipur.
4. Private Secretary to Chief Secretary / Additional Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
5. All Head of the Departments (including Collectors) Rajasthan, Jaipur.
6. All Treasury Officers of Rajasthan.
7. Administrative Reform Department (Codification) with 7 copies.
8. Director, DPR, Rajasthan, Jaipur.

Copy for information :-

1. Secretary, Rajasthan Vidhan Sabha, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
3. Secretary, Lokayaukt, Rajasthan, Jaipur.
4. Registrar, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, Jaipur.
5. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur.

Director (Budget)

[8/2008]

12

<u>निविदा की शर्तें</u>

वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र संख्या 8/2008 क्रमांक : प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्यय/2004 दिनांक : 28.07.2008 के बिन्दु संख्या 3 के संदर्भ में

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जाएगा।

2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नही पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।

3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।

4. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

5. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह आपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण होतो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की कटौति की जावेगी।

6. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।

7. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेंदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

8. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।

9. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

10. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

11. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी0डी0 से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

8

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 4(19) आरडी / एनआरईजीएस / नरेगा / पी.ओ.. / 2009–10 जयपुर, दिनांकः– 18/9/09

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैः–

1. वर्तमान में संविदा पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों का संविदा अनुबंध संविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। **पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी ही अब योजनान्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी होगा।**

2 संविदा पर रखे जाने वाले **कनिष्ठ तकनीकी सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा रहेगी।** यदि उक्त योग्यतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं हो तो कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा, उसके उपरांत मैकेनिकल इंजिनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा एवं अंत में इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा अभ्यर्थीयों को प्राथमिकतानुसार अनुबंध पर नियोजित किया जा सकता है। **कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु अन्य किसी योग्यताधारी को नहीं रखा जावे एवं अन्यथा योग्यताधारी कार्मिकों का संविदा अनुबंध समाप्त होने पर आगे नहीं बढाया जावेगा।**

3. संविदा पर रखे जाने वाले **कनिष्ठ तकनीकी सहायक** के साथ जिला स्तर से ही **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक अनुबंध करेगें**, उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक को पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबंधित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा। ताकि जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक इनसे आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में काम ले सके।

4. **लेखा सहायक** हेतु न्यूनतम योग्यता **बी.कॉम./ सी.ए. (इन्टर)/ आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/ सी.एस. (इन्टर)** रहेगी।

5. **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक मय एक वर्ष का ओ. लेवल. का कम्प्यूटर डिप्लोमा होगा, यदि प्राथी मान्यता प्राप्त संस्थान से पी.जी.डी.सी.ए है तो उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

6. जन ग्राम पंचायतों में पहले से ही किसी भी योजना में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, उन पंचायतों में केवल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ही संविदा पर रखे जावें। शेष पंचायतों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मय मशीन रखें जावें।

7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक केवल जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रति उत्तरदायी होगा एवं पचायती राज के समस्त कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सबंधं में जिला कार्यक्रम समन्वयक की संस्तुति अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यवाही करेगें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

16/9

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निजि सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
3 निजि सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5 रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, ईजीएस

CMS
UNIVERSAL SOLUTIONS

13. Conceptualization and understanding of the Scheme

Overview: The Government of Rajasthan has decided to hire of computers, Manpower at each gram panchayat with appropriate broadband connectivity.
Govt of Raj proposed to pay Rs.6000 per gram panchayat against said arrangement.

Man power Minimum Qualification: The person should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/ linux environment, good practice in word processor, spread sheet and Internet.

Minimum IT infrastructure :

Computer : PIV/AMD or Higher, 512 RAM,80GB HDD, 15' Monitor, 10/100 lan, DVD writer, KB, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB ports, WIN XP/ Anti Virus/OFFICE XP

Printer : Laser Printer 12 PPM / DMP printer

UPS : Online / offline UPS for above computer & printer with 30 min minimum backup

Kripa **SHREE KRIPA COMPUTERS**
Channel Partner, Rajasthan (Novatium Solutions Pvt. Ltd.)

04/02/2010

To,
Commissioner,
National Rural Employment Guarantee Scheme,
Rajasthan

EE(V)
Pl. put up
4/2

Re: Proposal to provide Man and Machine for NREGS project

Dear Sir,

With reference to above that we M/s Shree Kripa Computers are the Channel Partner, Rajasthan of M/s Novatium Solutions Private Limited which is providing BSNL USOF Nova Net PC to remote areas (rural areas) of Rajasthan at subsidized rate of Rs.2259/-.

Sir, we have a large network in rural areas of Entire Rajasthan. Especially in Sikar, Alwar, Dausa, Ajmer and Jhunjhunu district, we have very strong presence at every Gram Panchayat.

Sir, we are interested to provide Man and Machine as per your specification according to circular of Finance (Budget) Department No. **F9 (1) FD-1(1) Bud/2004, Jaipur, Dated 28-07-2008** at Gram Panchayat/ Village level in above mentions Districts.

Kindly consider our proposal.

Waiting for your positive response.

Thanks & regards

For Shree Kripa Computers

Ashish Kulshrestha
Partner

SHREE KRIPA COMPUTERS

Enclosures:
1. List of Gram Panchayat of above Districts with Details
2. Brief profile of Shree Kripa Computers

3-A, Balaji Dham, Achrol House, Civil Lines, Jaipur - 302006
0141 - 2222234, 9352469172, E-mail ID: shreekripacomputers@gmail.com

7.1 System Configuration Offered ::

HCL BSNL Broadband Desktop PC with

- Intel's Atom Processor N230
- Intel 945GC based chipset
- 1GB Memory
- 80GB HDD Drive
- Optical Scroll Mouse
- Internet Multimedia Keyboard
- 15" TFT Monitor
- Anti Virus Software
- CD Writer
- Internal ADSL Modem
- Microsoft Windows Vista Starter

Software ::

- Pre-loaded MS Works Software with Word Processor and Spread Sheet

Pheripherals

- 600 VA UPS with 15 – 30 mintues backup

- 80 Coloumn Dotmatrix Printer

Note :: The above PC configuration consists of the additional accessories offered over and above the basic scheme configuration signed in the agreement with BSNL.

2 Payment Terms ::

2.1. Down Payment as per the BSNL Scheme ::

own Payment (one time along with PO) in favour of HCL :: Rs. 2250 /=

2.2 Monthly Payments

lonthly EMI Payment to BSNL :: Rs. 455 /=
(for total 36 Months)

o HCL Infosystems Ltd:

lonthly payment to HCL (per month for 3 years) :: Rs. 5,500 /-

lote ::

. The panchayat ministry shall pay the phone bill along with the broadband charges directly to BSNL dditionally.

General Conditions

1. The customer is requested to check and accept the configuration before placement of the purchase order.
2. The PO placed by the customer shall remain firm for the entire 3 year period.
3. The monthly EMI payments for Scheme PC config @ Rs. 455 /= may be made to BSNL directly as per the BSNL agreement.
4. The monthly payment for the Accessories and manpower should be paid as a consolidated payment at the state head quarters.
5. All the payments should be made before 2nd of every month. Incase if there is a delay in EMI payments, HCL shall have the right to claim interest @ 13% per annum.
6. The customer shall place a minimum order for 5000 Panchayats.
7. This scheme is applicable only for the Panchayats connected to BSNL Rural Exchanges through their wire line broadband connection.
8. HCL delivery period shall be calculated after its acceptance of the purchase order.
9. Incase of the system is down because of the customer reasons, act of god, riot etc, necessary waiver must be provided while calculating down time.